

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ख्या : 17/384

मोहम्मद युसुफ आयु 86 वर्ष आत्मज अल्लाबेली जाति मुसलमान जुलाहा निवासी मास्टर कॉलोनी, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

—रेस्पोजेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोजेन्ट की ओर से ।

निर्णय


दिनांक: 22.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम रालडी की आराजी खसरा नम्बर 25/4 रकबा 12 बीघा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने निवेदन किया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया जाकर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री राजस्व लोक अदालत की भावना के विरुद्ध जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवंटी के पक्ष में जो नामान्तरण खोला गया है वह गैर तरीके से खोला गया है जो निरस्तनीय था । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई थी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की उपस्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जावे ।
8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय पारित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।
9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 14.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
10. निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा